न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी नरेश कुमार ठकराल, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 02/2018 अन्तर्गत प्रतिभूति–हित का प्रर्वतन अधिनियम 2002.

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इडिया, शाखा– रामगढ़ शेखावाटी, जिला –सीकर।

प्रार्थी(प्रतिभूत लेनदार)

बनाम

प्रहलाद राय जोशी पुत्र बंशीधर जोशी, ग्राम– ठिमोली, तहसील– रामगढ़ शेखावाटी, जिला – सीकर (राजस्थान)।

अप्रार्थी/ऋणी

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

निर्णय

निर्णय दिनांकः 13 मार्च, 2018

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री **विष्णु कुमार अग्रवाल** द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थी **प्रहलाद राय जोशी** को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में **प्रहलाद राय जोशी पुत्र बंशीधर जोशी, के नाम मकान ग्राम– ठिमोली, तहसील– रामगढ़ शेखावाटी, जिला–सीकर में स्थित भूमि एवं भवन जिसकी सीमाएं उत्तर में रास्ता व चौक, दक्षिण में महेश जोशी का मकान, पूर्व में सीताराम जोशी का मकान, पश्चिम में महेश जोशी का बाड़ा** को बंधक रखकर **6,15,000/–**रूपये (अक्षरे रूपये **छः लाख पन्द्रह हजार** मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक **25.10.2016** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
जिला मजिस्ट्रेट (राज.)
Scanned by CamScanner

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर ऋणी को नोटिस जारी किया गया। ऋणी स्वयं उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि बकाया राशि पांच किश्तों में जमा करवा देगा लेकिन जमा करवाने के कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना नई दिल्ली 18 दिसम्बर 2015 से सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

5. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक **25.10.2016** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया। जिसकी अप्रार्थी ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।

6. अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वितीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी **प्रहलाद राय जोशी** की ओर से प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में बंधक **प्रहलाद राय जोशी पुत्र बंशीधर जोशी, के नाम मकान ग्राम– ठिमोली, तहसील– रामगढ़ शेखावाटी, जिला–सीकर में स्थित भूमि एवं भवन जिसकी सीमाएं उत्तर में रास्ता व चौक, दक्षिण में महेश जोशी का मकान, पूर्व में सीताराम जोशी का मकान, पश्चिम में महेश जोशी का बाड़ा**, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को इस शर्त पर की प्रकरण में किसी न्यायालय द्वारा स्थगन ना हो, जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

7. आदेश आज दिनांकः **13 मार्च, 2018** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(नरेश कुमार ठकराल)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर

जिला मजिस्ट्रेट ... (राज.)

Scanned by CamScanner